पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करने की योजना

केंद्रीय सरकार 1995 से उग्रवाद/विद्रोह से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यंय (एस.आर.ई.) की प्रतिपूर्ति के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रही है। यह योजना मिजोरम और सिक्किम के अलावा सभी पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत, केंद्र और राज्य के बीच 90:10 के अनुपात में निधि साझा की गई है और पूर्वोत्तंर राज्यों द्वारा सुरक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जा रही है जिनमें इंडिया रिजर्व बटालियनों को बढ़ाने, राज्य में तैनात सी.ए.पी.एफ./आर्मी को लॉजिस्टिक्स प्रदान करने, विद्रोही हिंसा के पीडितों को अनुग्रह अनुदान और आनुग्रहिक राहत, ऑपरेशनों में पी.ओ.एल.(पेट्रोल, तेल और लुब्रीकैंट) पर किए गए व्यय का 75%, सी.ए.पी.एफ. कार्मिकों को 100% अनुग्रह भुगतान, सुरक्षा उद्देश्य से तैनात विलेज गार्डस/विलेज डिफेंस कमेटी/होमगार्ड को दिया जाने वाला मानदेय, उन समूहों के लिए बनाए गए निर्धारित कैम्पों के रखरखाव पर होने वाला व्यय शामिल हैं जिन्होंने केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का करार किया है और आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों और उनके पुनर्वास पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की जा रही है। पिछले सात वर्षों व चालू वित्त वर्ष (31.01.2022 तक) के दौरान सुरक्षा संबंधी व्यय के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को दी गई प्रतिपूर्ति निम्नवत है :

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	असम	नागालैंड	मणिपुर	त्रिपुरा	मेघालय	अरुणाचल प्रदेश	कुल
2015-16	140.07	67.61	45.78	12.98	12.63	0.93	**280.00**
2016-17	148.70	61.48	31.86	36.62	9.19	12.15	**300.00**
2017-18	287.74	13.16	34.02	21.82	16.19	32.07	**405.00**
2018-19	137.05	42.34	32.35	9.05	11.74	17.48	**250.00**
2019-20	210.86	12.82	34.26	39.22	9.69	13.15	**320.00**
2020-21	65.43	41.82	39.50	8.70	4.88	24.92	**185.25**
2021-22 (31.01.2022 तक)	105.80	30.35	21.07	15.29	6.35	6.39	**185.25**

*****